




न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र0क0

/2016 निगरानी

R-3247-II/16

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह -RS.  
द्वारा आज दि 22/9/16 को  
प्रस्तुत

  
दि 22/9/16

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

15  
22-9-16

जोखई पिता देवशरन साहू

निवासी - ग्राम निगरी, तहसील देवसर,

जिला सिंगरौली (म0प्र0) -----आवेदक

**बनाम**


- 1- महाप्रबंधक जे0 पी0 पावर वेन्चर्स लिमिटेड
- 2- रामपती पिता रजपाल साहू
- 3- लक्षनधारी पिता रजपाल साहू  
निवासीगण- ग्राम निगरी, तहसील देवसर,  
जिला सिंगरौली (म0प्र0)
- 4- म0 प्र0 शासन -----अनावेदगण

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 (1) म.प्र.भू राजस्व संहिता-1959  
(नये संशोधन अधिनियम-2011) विरुद्ध आदेश न्यायालय  
अनुविभागीय अधिकारी महोदय देवसर, जिला सिंगरौली के  
प्रकरण क्रमांक 81/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक  
17.8.2016 से परिवेदित होकर।

माननीय,

आवेदक का निगरानी आवेदन-पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:-

प्रकरण के तथ्य:-

  
दुष्यन्त कुमार सिंह  
एडवोकेट  
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड  
ग्वालियर-3



(10)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R-3247/2016 सिविल

जोरवड़ / महाजन वन सं. सं.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
02/01/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>दुपयन कुमार सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी <u>- हवरा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>811/3/15-16</u> में पारित आदेश दिनांक <u>17-8-16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>- सिविल</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>18/04/19</u> को कलेक्टर जिला <u>- सिविल</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p><u>[Signature]</u> सदस्य</p>

[Signature]